

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 184 /FP/UK/ROAD/9530/2015 दिनांक: देहरादून: 13 जुलाई, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0,  
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

विषय:— जनपद—अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैती पीपली से सिल्टा चापड़ मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.7862 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 438/X-4-15/1(240)/2015 दिनांक 01-07-2015 (प्रति सलग्न)

महोदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है :-

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.5724 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 13,68,853.00 (रू0 तेरह लाख अड़सठ हजार आठ सौ तिरपन) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—1 में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 9.5724 हे0 है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 13,67,400.00 (रू0 तेरह लाख सडसठ हजार चार सौ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में रू0 31,44,533.00 (रू0 इकतीस लाख चौवालीस हजार पाँच तैतीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।
5. शर्त संख्या—5-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी

गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं० भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

6. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों हेतु निर्धारित बजट की सूचना उपलब्ध करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद-कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. शर्त संख्या-10 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,  
(मनोज चन्द्रन)  
वन संरक्षक।

संख्या /FP/UK/ROAD/9530/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा। (प्रति संलग्न)
4. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत। (संलग्न:-यथोपरि)
5. मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। (संलग्न:-यथोपरि)

(मनोज चन्द्रन)  
वन संरक्षक।